फा सं.1-1(1)/2018 सा.II
संघ लोक सेवा आयोग
धौलपुर हाऊस, शाहजहां रोड,
नई दिल्ली- 110069

दिनांक : 12.04.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

रेलवे पार्सलों की निकासी/नॉयलान स्ट्रिपींग/वॉटर प्रूफिंग तथा नलीदार बक्से जिसमें परीक्षा सामग्री रखी जाती है की लोडिंग के लिए इस क्षेत्र में संलग्न वेन्डरों से ऑनलाइन बोलियां आमंत्रित की जाती है। ऑनलाइन निविदा का विशिष्ट विवरण इस निविदा दस्तावेज़ के अनुबंध-I में वर्णित किया गया है। मैनुअल बोलियाँ स्वीकार नहीं की जाएँगी।

निविदा दस्तावेज आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in (केवल संदर्भ के लिए) तथा सी पी पी पोर्टल साइट https://eprocure.gov.in/eprocure/appसे भी डाउनलोड किए जा सकते हैं, जिसका कार्यक्रम नीचे **क्रिटिकल डेटशीट** में दिया गया है:-

क्रिटिकल डेटशीट

सीपीपी पोर्टल पर प्रकाशित किए जाने की तारीख	12.04.2019
दस्तावेज डाउनलोड शुरू करने की तारीख	12.04.2019
दस्तावेज़ डाउनलोड करने की अंतिम तारीख	03.05.2019
बोली प्रस्तुत करना प्रारम्भ करने की तारीख	12.04.2019
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	03.05.2019

स्पष्टीकरण शुरू किए जाने की तारीख	12.04.2019
स्पष्टीकरण की अंतिम तारीख	22.04.2019
तकनीकी बोली को खोलने की तारीख तथा समय	07.05.2019; 1500 Hrs.
जमा धरोहर राशि (ई एम डी)	1.00/- लाख रूपए (केवल एक लाख रूपए)
वित्तीय बोली को खोलने का स्थान, तारीख एवं समय	तकनीकी रूप से अर्हता प्राप्त निविदाकर्ताओं को सूचित किया जाएगा

बोलियां केवल सीपीपीपी वेबसाइट: https://eprocure.gov.in/eprocure/app पर ऑनलाइन ही जमा करनी होंगी।

बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे ई-प्रापण के लिए "केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल https://eprocure.gov.in/eprocure/app के माध्यम से ऑन लाइन बोलियों के ई-प्रस्तुतीकरण के लिए निविदाकर्ता/संविदाकर्ता के लिए अनुदेशों" में दिए गए अनुदेशों का अनुपालन करें।

बोली दस्तावेज़ों को श्वेत एवं श्याम विकल्प सहित 100 dpi के साथ स्कैन किया जा सकता है जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को कम करने में मदद करता है ।

महत्वपूर्ण: बोलीदाता किसी भी सूचना/स्पष्टीकरण के लिए सभी सरकारी कार्य दिवसों में1000 बजे से 1700 बजे के मध्य क्रिटिकल डेट शीट में दिए गए दूरभाष नं0 011-23388418 पर स्पष्टीकरण के लिए अवर सचिव(जी), संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क कर सकते हैं।

सामान्य निबंधन तथा शर्तें

1.बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया

बोली केवल **केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल (ई-प्रापण)** के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। निविदा दो भागों में अर्थात् तकनीकी और वित्तीय बोली में ऑनलाइन प्रस्तुत की जाएगी।

दस्तावेज़ों को अपलोड किए जाने से पहले प्रस्तुत की जाने वाली बोली के सभी पृष्ठों पर बोलीदाता के हस्ताक्षर और दस्तावेज़ों के विषय-वस्तु की प्रकृति पर ध्यान न देते हुए उन पर क्रम संख्या दी जानी चाहिए । फैक्स/ई-मेल अथवा किसी अन्य तरीके से प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा । क्रिटिकल डेटशीट में यथा उल्लिखित ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख/ समय पर या उससे पहले सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर / एफ डी आर के रूप में 1.00/- लाख रुपये (एक लाख रूपये मात्र) की जमा धरोहर राशि के मूल लिखत की हार्ड प्रति संघ लोक सेवा आयोग के स्वागत कक्ष, गेट-सी, धौलपुर हाउस, शाहजहाँ रोड, नई दिल्ली-110069 पर लगे टेंडर बॉक्स में अवश्य डाल दी जाए।

(i) <u>तकनीकी बोली:</u>

बोलीदाता को **अनुबंध-IV** में दर्शाई गई **जांच सूची** में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेज़ जिन पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप से हस्ताक्षर किए गए हो, तकनीकी बोली के साथ प्रस्तुत करने होंगे :-

(क) पैन कार्ड की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति ।

(ख) जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति ।

(ग) फर्म की वर्ष 2017-18 सहित विगत 3 वर्ष (तीन वर्ष) की आयकर विवरणी की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रतियां ।

(घ) वर्ष 2017-2018 सहित प्रत्येक <u>विगत तीन वर्षों</u> की लेखा परीक्षा की बैलेंस शीट अर्थात पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक कारोबार **10.00 लाख** रूपए या इससे अधिक रहा हो, से संबंधित समर्थित दस्तावेज़ों की हस्ताक्षारित एवं स्कैन की गई प्रतियां ।

(ङ) सरकारी संगठन / प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थाओं/ लोक सेवा आयोगों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ या प्रतिष्ठित निजी फर्मों से प्राप्त कार्य आदेशों की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति ।

(च) 1,00,000/- रू. की जमा धरोहर राशि (ई एम डी) की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति।

(छ) **अनुबंध-III** के तहत अपेक्षित प्रमाण-पत्र की प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति।

(ii) <u>मूल्य बोली</u>

क) बोलीदाता सुनिश्चित रूप से मूल्य बोली अनुसूची (अनुबंध- II) के लिए निर्धारित प्रपत्र में BOQ.xls फार्मेट में ही दर प्रस्तुत करेंगे ।

ख) दरों में माल-भाड़ा एवं अग्रेषण से संबंधित सभी प्रभार शामिल होंगे ।

ग) दरों को कर से अलग उद्धृत किया जाएगा । कर, यदि कोई हो, को अलग से मूल्य अनुसूची में उद्धृत किया जाए ।

घ) उद्धृत कीमतें निविदा खोले जाने की तारीख से छः माह के लिए वैध होंगे ।

ङ) संविदा की वैधता के दौरान दर स्थिर रहेंगी ।

च) अधूरी अथवा अनिर्णीत मूल्य बोली को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

2. जमा धरोहर राशि :

1.00 लाख रू0 (केवल एक लाख रूपए) की जमा धरोहर राशि(ई एम डी) को निविदा के साथ जमा किया जाना अनिवार्य तौर पर अपेक्षित है। ईएमडी को दिल्ली/ नई दिल्ली में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को देय किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा वाणिज्यिक बैंक से डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर/एफ डी आर के रूप में जमा किया जाना आवश्यक है, इसके अभाव में निविदा को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। केंद्रीय भण्डार, एन सी सी एफ जैसे फर्म, जो एन एस आई सी में पंजीकृत है तथा किसी अन्य संगठन जिसे नियमों के अंतर्गत धरोहर राशि जमा करने से छूट दी गई है, को दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर धरोहर राशि जमा करने से छूट दी जाती है । अन्य बोलीदाताओं को ऊपर बताए अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जमा धरोहर राशि प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

क). जमा धरोहर राशि अंतिम बोली वैधता अवधि के बाद **45 (पैंतालीस)** दिन की अवधि तक वैध रहेगी ।

ख). ई एम डी को ई-निविदा वेबसाईट पर निविदा जमा किए जाने की अवधि के भीतर स्कैन करके अपलोड कर दिया जाए और मूल प्रति को संघ लोक सेवा आयोग में जमा करा दिया जाए।

ग). असफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि निविदा को अंतिम रूप दिए जाने के बाद उन्हें वापस लौटा दी जाएगी । जमा धरोहर राशि पर किसी भी परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा ।

3. <u>निष्पादन प्रतिभूति</u>:

(i) संविदा के उचित और सफल निष्पादन के लिए फर्म संविदा के अनुमानित मूल्य के 5% की दर से तीन वर्ष के लिए निश्चित निष्पादन प्रतिभूति, आशय पत्र जारी होने की तारीख से 10 दिन अथवा सं.लो.से.आ. द्वारा लिखित में प्रदत्त विस्तारित समय के भीतर किसी भी राष्ट्रीयकृत अथवा वाणिज्यिक बैंक से दिल्ली में सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर/बैंक गारंटी/ एफ डी आर के रूप में प्रस्तुत करनी होगी ।

(ii) यह निष्पादन प्रतिभूति आरम्भ संविदा पूर्ण होने की निर्धारित तारीख से 90 दिनों तक वैध रहेगी। कार्य पूरा होने में लगने वाले समय को बढ़ाए जाने पर संविदाकार को कार्य पूरा करने हेतु ऐसे बढ़ाए गए समय को शामिल करने के लिए निष्पादन प्रतिभूति विस्तार की वैधता प्राप्त करनी होगी। आयोग सभी संविदात्मक दायित्वों की संतोषजनक पूर्णता तक निष्पादन प्रतिभूति अपने पास रखेगा ।

(iii) संघ लोक सेवा आयोग को भी किसी भी संविदात्मक दायित्व को पूरा करने में संविदाकार के विफल होने की स्थिति में तथा संविदा की निबंधन और शर्तों के अनुसार संविदा समाप्त होने की स्थिति में निष्पादन प्रतिभूति को जब्त करने का अधिकार प्राप्त है। यह स्पष्ट तौर पर समझ लिया जाए कि यदि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित समयावधि के अनुसार कार्य पूरा नहीं किया जाता है तो निष्पादन प्रतिभूति को जब्त कर लिया जाएगा। यह किसी भी परिसमाप्त क्षति/ शास्ति, यदि कोई हो, के अतिरिक्त होगा जिसे यहाँ विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अनुसार लगाया जा सकता है। सफल बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति पर उन्हें वापस लौटा दी जाएगी । निष्पादन प्रतिभूति पर किसी भी परिस्थिति में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(iv) यदि संविदाकार निर्धारित अथवा विस्तारित अवधि के भीतर की अपेक्षित राशि निष्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने में विफल होता है तो, आशय पत्र को स्वतः ही वापस ले लिया माना जाएगा और संविदाकार की जमा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।

4.<u>पात्रता संबंधी मानदंड :</u>

नीचे दी गई पात्रता शर्तों में विभिन्न क्षेत्रों में न्यूनतम पात्रता मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बोलीदाता के पास आवश्यक अनुभव, विशेषज्ञता, वित्तीय और मानव संसाधन हैं जिससे सेवा की वांछित गुणवत्ता को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया जा सके। इन योग्यता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले बोलीदाताओं को बोली लगाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन शर्तों को पूरा नहीं करने वालों की बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा। बोलीदाता को बिंदु दर बिंदु अनुपालन द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए और नीचे दिए गए प्रत्येक खंड के संदर्भ में संगत दस्तावेज संलग्न करने चाहिए:-

(i) वर्ष 2017-18 सहित पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान फर्म का वार्षिक कारोबार अनिवार्यत: 10 लाख रुपए होना चाहिए। इस संबंध में, बोलीदाता को फर्म के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रतियां अनिवार्यत: प्रस्तुत करनी होंगी।

(ii) बोली लगाने वाली फर्म को सरकारी संगठन/प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थानों/लोक सेवा आयोगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/या निजी फर्मों में, जहां फर्म ने काम किया है या इसी तरह का काम कर रहे हैं, के लिए नायलॉन स्ट्रिपिंग/वाटर प्रूफिंग और नालीदार बक्से की लोडिंग या इसी तरह के पैकिंग कार्य प्रदान करने का अनुभव होना चाहिए। ।

(iii) सरकारी संगठन / प्रतिष्ठित शैक्षिक संस्थाओं/ लोक सेवा आयोगों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / या प्रतिष्ठित निजी फर्मों से प्राप्त इस तरह के कार्य आदेश की प्रतियां भी अवश्य प्रस्तुत की जाए।

5. <u>अन्य निबंधन एवं शर्तें:</u>

क) बोलीदाता कर प्राधिकारी में पंजीकृत होना चाहिए और पंजीकरण प्रमाणपत्र/संगत दस्तावेजों की एक प्रति जैसे जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र, अवश्य संलग्न करना होगा।

ख)बोलीदाता को वर्तमान में ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए अथवा भारत सरकार की किसी भी एजेंसी/पीएसयू, राज्य सरकार के किसी भी विभाग में उसे ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए। बोलीदाता इस संबंध में फर्म के लेटर हेड पर लिखित घोषणा प्रस्तुत करेगा।

ग)बोलीदाता को अनुलग्नक- III में दिए अनुसार निम्नलिखित प्रमाणित करते हुए शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हैः-

(i) कि निविदा के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार्य हैं;

(ii) कि पिछले निरंतर तीन वर्षों के दौरान मुझे/हमें आय/धन को छिपाने के लिए दंडित नहीं किया गया है या दोषी नहीं पाया गया है।

(iii) कि पूर्व में मेरी फर्म को किसी भी सरकारी कार्यालय या एजेंसी द्वारा कभी भी काली सूची में नहीं डाला गया है/विवर्जित या समाप्त नहीं किया गया है

(iv) कि मैं/हम एन आई टी में विनिर्दिष्ट कार्यक्षेत्र को पूरी तरह समझते हैं और उनकी बोली पूर्ण रूप से कार्यक्षेत्र के अनुसार है।

(घ) बोलियाँ तकनीकी बोलियाँ खोले जाने की तारीख से न्यूनतम 180 दिन की अवधि के लिए वैध होगी।

(ड.) बोली प्रस्तुत करने और इसकी समाप्ति की समय-सीमा के बीच की अवधि के अंतराल में अथवा बोलीदाता द्वारा निर्धारित बोली की वैधता की अवधि समाप्त होने की समय सीमा के बीच कोई भी बोली वापस नहीं ली जा सकती है। इस अंतराल के दौरान बोली को वापस लेने पर ऐसे बोलीदाताओं की जमा धरोहर राशि जब्त की जा सकती है।

(च) कल्पित और सशर्त बोलियों को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

(छ) संघ लोक सेवा आयोग को किसी भी अथवा सभी बोलियों को बिना कारण बताए स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार है। इस संबंध में, सचिव, यूपीएससी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(ज) यह संविदा इसे प्रदान किए जाने की तारीख से 3 (तीन) वर्ष के लिए वैध होगी। हालांकि, सचिव, संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेकानुसार समान निबंधनों, शर्तों और दरों पर संविदा का एक और वर्ष के लिए विस्तार कर सकते हैं जोकि तीसरे वर्ष की दरों, निबंधन और शर्तों के अनुसार होगा।

(झ) यदि संघ लोक सेवा आयोग इस बात से संतुष्ट है कि बोलीदाता संविदा के निबंधनों और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है तो उसे किसी भी समय संविदा को समाप्त करने का अधिकार है । इस संबंध में यूपीएससी का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

(ञ) कार्यक्षेत्र (अनुबंध । पैरा नं. 11) में उल्लिखित मात्रा अस्थायी हैं। आयोग की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार मात्रा के लिए आर्डर दिया जाएगा जिसमें वृद्धि या कमी हो सकती है।

(ट) **आयकर:** बिलों से यथालागू स्रोत पर वसूल किए जाने योग्य। बोलीदाता अपनी स्थायी आयकर खाता संख्या(पैन) और वर्ष 2017-18 सहित विगत तीन वर्ष के लिए अपने फर्म की आयकर रिटर्न की प्रतियां प्रस्तुत करेंगे।

6. बोलियों का मूल्यांकन:

क) केवल उन्हीं बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी जिनकी तकनीकी बोलियों को संघ लोक सेवा आयोग के सक्षम प्राधिकारी ने विस्तृत जांच के बाद अनुमोदित किया है।

ख) अनुलग्नक-II में दी गई मूल्य अनुसूची के अनुसार प्रत्येक मद के लिए अलग-अलग दरें उद्धृत की जाएंगी। दरों को कर से अलग कर उद्धृत किया जाना चाहिए। यथालागू करों का भुगतान किया जाएगा।

ग) एल-1 बोलीदाता का निर्णय प्रतिवर्ष 10% की रियायती दर पर एनपीवी (कुल वर्तमान मूल्य) आधार पर किया जाएगा। एल-1 फर्म के निर्णय के लिए परिकलन का ब्यौरा मूल्य अनुसूची (अनुबंध-।।) में दिया गया है। एल-1 विक्रेता का चयन एनपीवी आधार पर होगा। तथापि, भुगतान विक्रेता द्वारा उद्धृत की गई वर्ष-वार दर और यथा लागू करों के जोड़ के आधार पर किया जाएगा।

7 . **<u>जोखिम क्रय खंड:</u>**

यदि बोलीदाता, बोली जमा होने और इसके विधिवत स्वीकार होने अर्थात् आशय-पत्र प्राप्त होने के बाद बोली दस्तावेज़ों के निबन्धन शर्तों के अनुपालन में विफल रहता है अथवा निर्धारित समय-सीमा के अनुसार कार्य निष्पादन में असफल रहता है या किसी भी समय संविदा का परित्याग करता है, तब सं.लो.से.आ. को जमा धरोहर राशि को जब्त करने, फर्म द्वारा जमा की गई निष्पादन प्रतिभूति को भुनाने और फर्म के जोखिम और परिणाम पर अन्य एजेंसियों से कार्य करवाने का अधिकार होगा। वैकल्पिक व्यवस्था और फर्म के निविदा मूल्य के बीच के लागत संबंधी अन्तर की वसूली अन्य प्रासंगिक प्रभारों और कर, मालभाड़ा आदि के

साथ फर्म से की जाएगी। यदि संघ लोक सेवा आयोग वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से सेवा प्राप्त करने के लिए बाध्य होता है तो लागत कम होने पर इसका कोई लाभ फर्म को नहीं दिया जाएगा।

8. परिसमाप्त क्षति/शास्ति:

फर्म को निविदा की निबंधन एवं शर्तों के अनुसरण में कार्य के अनुसरण में कार्य क्षेत्र के अनुसार कड़ाई से पालन करते हुए इसका निष्पादन करना होगा, ऐसा करने में विफल होने पर संघ लोक सेवा आयोग उनके अन्य अधिकारों अथवा उपलब्ध उपायों के साथ बिना किसी भेदभाव के फर्म से हानि हुई राशि की क्षतिपूर्ति कर सकता है जिसका परिसमाप्त क्षति के तौर पर इस कार्यालय द्वारा निर्धारण/आकलन किया जाएगा और यह वसूली अलग से कार्य के 1% प्रति सप्ताह विलंब की दर से कुल संविदा लागत के अधिकतम 10% के अधीन जुर्माने के माध्यम से नहीं की जाएगी। यदि कोई भी क्षति अथवा विलंब किसी भी पक्ष के नियंत्रण से बाहर के किसी कारण (अप्रत्याशित घटना) से होती है तो, उस स्थिति में ऐसी किसी क्षति अथवा जुर्माने को स्वविवेक से माफ करने का अधिकार सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के पास होगा, जैसा वे उचित समझें। फर्म को इस तरह के विलंब अथवा नुकसान होने की तारीख से 10 दिन के भीतर ऐसे विलंब या क्षति के कारणों को लिखित रूप से स्पष्ट करना होगा। दो सप्ताह से अधिक के किसी भी विलंब की स्थिति में, संघ लोक सेवा आयोग को किसी भी अन्य एजेंसी से कार्य कराने और फर्म की निष्पादन प्रतिभूति राशि को भी जब्त करने की छूट होगी और सचिव, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जो भी उचित समझा जाएगा वैसी अन्य कार्रवाई की जाएगी।

9. अप्रत्याशित घटना (Force Majeure)

किसी भी पक्ष के निष्पादन में विफलता या विलंब, को चूक नहीं माना जाएगा, जिससे नुकसान के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सके, चाहे विलंब या निष्पादन में विफलता किसी ईश्वरीय प्रकोष या आग, विस्फोट, बाढ़ अथवा अन्य प्राकृतिक तबाही, सरकारी कानून, आदेश या विनियमन इत्यादि के कारण हो। पक्षों द्वारा दायित्वों के निष्पादन का समय अप्रत्याशित घटना की अवधि के बराबर अवधि के लिए विस्तारित मान लिया जाएगा। दोनों पक्षों द्वारा अप्रत्याशित घटना से होने वाले विलंब को कम करने का भरसक सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया जाएगा।

10. मध्यस्थता:

संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म के बीच पैदा होने वाले किसी विवाद या मतभेद जो किसी निष्कर्ष, अर्थ तथा प्रक्रिया या इस संविदा पर पड़ने वाले प्रभाव या संविदा भंग होने की स्थिति में उत्पन्न हो अथवा से संबंधित हो, तो ऐसे में विवाद का निपटान माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा किया जा सकेगा और उसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग तथा फर्म दोनों पर बाध्यकारी होगा । मध्यस्थता का स्थल दिल्ली होगा ।

11. **क्षेत्राधिकार:**

मध्यस्थता के अध्यधीन उपर्युक्त के अलावा इस करार के कारण दोनों पक्षों में से किसी के भी अधिकार का हनन कोई वाद या कार्यवाही केवल दिल्ली के न्यायालय में स्थापित और दायर की जाएगी और अन्य किसी न्यायालय में नहीं होगी और दोनों पक्ष ऐसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार को स्वीकार करने के प्रति स्वेच्छा से सहमत होंगे ।

12. **भुगतान :**

संघ लोक सेवा आयोग के प्रयोक्ताओं द्वारा कार्य के विधिवत रूप से सफलतापूर्वक पूरा होने को प्रमाणित करने के बाद ही शत-प्रतिशत भुगतान (लागू करों सहित) की राशि जारी की जाएगी ।

13. निविदा सूचना संघ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.upsc.gov.in पर भी उपलब्ध है ।

(आर. के. दीक्षित)
अवर सचिव (सामान्य)
दूरभाष: 011-23388418

अनुबंध-।

कार्य क्षेत्र

1. संबंधित परीक्षा व्यवस्था अनुभाग के पर्यवेक्षणाधीन तीन अलग-अलग आकारों (i) 18" x 12.5" x 5", (ii) 18" x 12" x 6", (iii) 18" x 12.5" x 8", (सभी आयाम इंच में) (प्रति बॉक्स 4 नाइलॉन स्ट्रिप्स) में नलीदार बक्सों की स्ट्रिपिंग की जाएगी। 12 मि.मि. मोटाई वाली नाइलॉन स्ट्रिप सामग्री से स्ट्रिपिंग की जाएगी और 20-22 एमएम मोटाई वाली माइक्रोन वॉटरप्रूफिंग सामग्री से बक्सों की वाटरप्रूफिंग की जाएगी। प्रत्येक बाक्स में दो क्षैतिज और दो ऊर्ध्वाधर नाइलॉन स्ट्रिप्स होंगे।

2. आयोग की विशिष्ट अपेक्षाओं/अनुरोध के अनुसार नलीदार बाक्सों की वाटर प्रूफिंग की जाएगी। वेंडर का पूरा दायित्व होगा कि बाक्स में पानी न डाला जाए। पानी के बहाव/रिसाव के लिए हुई किसी प्रकार की क्षति के लिए वेंडर पूर्ण रूप से जिम्मेदार होंगे जो वेंडर से वसूली जाएगी।

3. फर्म को परीक्षा शाखा के संबंधित अनुभाग को सूचना देते हुए रेलवे स्टेशन से संघ लोक सेवा आयोग तक बाक्स/सामग्रियों की निकासी करना अपेक्षित है। दिल्ली/नई दिल्ली या नजदीकी रेलवे स्टेशन से रेलवे पार्सलों (प्रति किलोग्राम) (भाड़ा तथा ढलाई आदि सहित) की निकासी प्रभार वास्तविक सामान के आधार पर अदा किया जाएगा जो वेंडर या उनसे संबद्ध को परिवहन/यातायात के दावे के बिना रेलवे प्राधिकारियों से प्राप्त मूल बिलों के प्रस्तुतीकरण के अध्यधीन होगा। **ऐसे पार्सलों की मात्रा बहुत कम होगी**। कार्य के गैर-निष्पादन की स्थिति में संविदा के कुल मूल्य के 0.1% की दर से शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

4. रेलवे प्राधिकारियों से आवक पार्सल की सुपुर्दगी लेते समय फर्म को प्रत्येक एकल पैकेज की जांच यह देखते हुए सावधानीपूर्वक करनी होगी कि कोई भी पार्सल टूटी-फूटी स्थिति में न हो। यदि पार्सल टूटी-फूटी स्थिति में है या संदेह है कि इसके साथ छेड़छाड़ की गई है या पारगमन के दौरान इनकी अन्तर्वस्तु को चुराया गया है, तो इस मामले की रिपोर्ट तत्काल अनुभाग अधिकारी, प-। क (स्टोर), संघ लोक सेवा आयोग को की जानी चाहिए, वे अपने कार्यालय के एक अधिकारी को प्रतिनियुक्त करेंगे जो रेलवे प्राधिकारियों से पार्सल की समुचित सुपुर्दगी प्राप्त करने का मार्गदर्शन करेंगे।

5. रेलवे प्राधिकारियों से आवक पार्सल की सुपुर्दगी प्राप्त करने के पश्चात फर्म को न्यूनतम संभावित समय के भीतर इस कार्यालय के विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि को पार्सलों को सौंपने की व्यवस्था करना अपेक्षित होगा। यदि वह महसूस करता है कि किसी भी कार्य दिवस को आवक पार्सल की सुपुर्दगी कार्यालय समय अर्थात 6.00 बजे सायं के बाद की जा सकती है तो वे उस दिन 5.00 बजे अपराह्न से पूर्व अनुभाग अधिकारी, प-। क (स्टोर) को सूचित करेंगे ताकि कार्यालय समय के पश्चात पार्सलों को प्राप्त करने के लिए इस कार्यालय के एक अधिकारी को तैनात करने की व्यवस्था की जा सके।

6. फर्म भुगतान की व्यवस्था के लिए उक्त एजेंसी से सभी रसीद/वाउचर सहित बाद में बिल बनाएंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा सामग्री में प्रयुक्त होने वाली बाक्सों को संघ लोक सेवा आयोग को मुहैया कराने के लिए भारतीय रेलवे को भुगतान हेतु, जैसा भी मामला हो, फर्म को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

7. फर्म द्वारा संविदा के प्रावधानों के अनुसार कार्य को कार्यान्वित किए जाने में असफल होने की स्थिति में, सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को यह अधिकार होगा कि वे संविदा को निरस्त कर दें और किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर दें और इनसे हुई क्षति की वसूली प्रथम फर्म से की जाएगी। इस संबंध में उठे किसी प्रकार के विवाद को सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम एवं पक्षकारों के लिए बाध्यकारी होगा।

8. फर्म सामग्री की हानि/क्षति/चोरी के लिए जिम्मेदार होगी। स्टाफ की तरफ से किसी भी भूल-चूक के लिए फर्म पूर्णत: जिम्मेदार होगी। फर्म को उसके द्वारा प्रतिनियुक्त किए गए स्टाफ के बारे में कम से कम एक सप्ताह पहले लिखित में संघ लोक सेवा आयोग को सूचित करना होगा ताकि संघ लोक सेवा आयोग में उनके प्रवेश के लिए आवश्यक व्यवस्था की जा सके।

9. फर्म को बिना कोई कारण बताए 15 दिनों के नोटिस द्वारा समाप्त किया जा सकता है।

10. संघ लोक सेवा आयोग परिसर में डाक वैन में बाक्सों की लोडिंग की जिम्मेदारी पूर्णतया वेंडर की होगी। इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा कोई श्रमिक/व्यक्ति मुहैया नहीं कराया जाएगा।

11. इस निविदा के लिए अपेक्षाओं (अनुमानित मात्राओं) की सूची नीचे दी गई है :-

क्र.सं.	कार्य / गतिविधि	अनुमानित मात्रा (वर्ष-वार) (बक्सों की संख्या)		
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष
		क	ख	ग
1.	प्रत्येक बाक्स पर चार (4) नाइलॉन स्ट्रिपिंग	8000	9000	11000
2.	प्रत्येक बाक्स की चार (4) नाइलॉन स्ट्रिपिंग सहित वाटर प्रूफिंग (प्रति नलीदार बाक्स)	10000	13000	15000

अनुबंध-।।

मूल्य अनुसूची

क्र.सं.	कार्य / गतिविधि	प्रति बॉक्स दर (वर्ष-वार) (रु. में)			निविदा के जारी होने की तारीख को लागू कर (% में)
		प्रथम वर्ष	द्वितीय वर्ष	तृतीय वर्ष	
		ए	बी	सी	डी
1.	प्रत्येक बाक्स पर चार (4) नाइलॉन स्ट्रिपिंग				
2.	प्रत्येक बाक्स की चार (4) नाइलॉन स्ट्रिपिंग सहित वाटर प्रूफिंग (प्रति नलीदार बाक्स)	ई	एफ	जी	
		वाई$_1$=ए+ई	वाई$_2$=बी+एफ	वाई$_3$=सी+जी	

महत्वपूर्ण टिप्पणियां :

1) प्रथम वर्ष संविदा दिए जाने की तारीख से प्रारंभ होगा।
2) दरें केवल उपर्युक्त फॉर्मेट के अनुसार ही उद्धृत की जाएंगी। निर्धारित किए गए रूप से भिन्न किसी अन्य रूप में प्रस्तुत की गई दरों पर विचार नहीं किया जाएगा।
3) एनपीवी (कुल वर्तमान मूल्य) का परिकलन प्रतिवर्ष 10% की रियायती दर पर किया जाएगा। एल-1 निर्धारित करने के लिए परिकलन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

एनपीवी = {वाई$_1$+ वाई$_2$/(1+0.1)+ वाई$_3$(1+0.1)^2}

[एनपीवी = कुल वर्तमान मूल्य; वाई$_1$ = प्रथम वर्ष के लिए उद्धृत दर; वाई$_2$ = द्वितीय वर्ष के लिए उद्धृत दर और वाई$_3$ = तृतीय वर्ष के लिए उद्धृत दर]

<u>कुल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का उदाहरण</u> :

(i) यदि वाई$_1$=150, वाई$_2$=200 और वाई$_3$ = 240 है, तो कुल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा :-

कुल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) = 150 + (200/1.1) + (240/1.21)

= 150 + 181.82 + 198.35

= 530.17

इस प्रकार कुल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) 530.17 रु. है।

(ii) यदि वाई$_1$=300, वाई$_2$=250 और वाई$_3$ = 200 है, तो कुल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) का परिकलन निम्नानुसार किया जाएगा :-

कुल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) = 300 + (250/1.1) + (200/1.21)

= 300 + 227.27 + 165.29

= 692.56

इस प्रकार कुल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) 692.56 रु. है।

4) एल-1 विक्रेता का चयन कुल वर्तमान मूल्य (एनपीवी) के आधार पर किया जाएगा। तथापि, भुगतान लागू करों सहित विक्रेता द्वारा उद्धृत की गई वार्षिक दरों के आधार पर किया जाएगा।

5) एल-1 का निर्धारण करते समय करों की गणना नहीं की जाएगी। तथापि, सहायक दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर वास्तविक आधार पर उनका भुगतान किया जाएगा।

6) मूल्य अनुसूची में उल्लिखित दरें अस्थायी हैं और केवल मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु ही हैं। ऑर्डर की जाने वाली मात्रा आयोग की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर ही निर्धारित की जाएगी जिसमें वृद्धि और कमी हो सकती है।

अनुबंध-।।।

परीक्षा सामग्री वाले बाक्सों की रेलवे पार्सलों द्वारा निकासी/नाइलॉन स्ट्रिपिंग/वाटर प्रूफिंग तथा लोडिंग के लिए निविदा

हमने _____ (फर्म का नाम एवं पता) आपके दिनांक _____ की निविदा आमंत्रण सूचना के प्रत्युत्तर में परीक्षा सामग्री में प्रयुक्त होने वाले बाक्सों की रेलवे पार्सलों द्वारा निकासी/नाइलॉन स्ट्रिपिंग/वाटर प्रूफिंग तथा लोडिंग के लिए वार्षिक संविदा के लिए तकनीकी एवं वित्तीय बोली प्रस्तुत की है। निविदा आमंत्रण सूचना के अंतर्गत यथा अपेक्षित जानकारी हम एतदद्वारा निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं:-

1. कि निविदा के सभी निबंधन एवं शर्तें हमें स्वीकार्य हैं।

2. कि मुझे/हम लोगों को तात्कालिक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान आय/धन को छिपाने के लिए दंडित नहीं किया गया है और न ही दोषी पाया गया है।

3. कि मेरी फर्म को विगत में किसी भी समय सरकारी कार्यालय या एजेंसी द्वारा कभी भी काली सूची में नहीं डाला गया है/विवर्जित किया गया है और न ही समाप्त किया गया है।

4. कि हम नि.आ.सू. में निर्दिष्ट कार्य क्षेत्र को पूर्णतया समझते हैं और हमारी बोली पूर्णतया कार्य क्षेत्र के अनुसार है।

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
फर्म/बोलीदाता का नाम और पता

अनुबंध-IV

जांच सूची

क)	पैन कार्ड की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति।	हां/नहीं
ख)	जी एस टी पंजीकरण प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति।	हां/नहीं
ग)	वर्ष 2017-18 सहित फर्म की प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वर्षों की आय कर विवरणी की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रतियां।	हां/नहीं
घ)	वर्ष 2017-18 सहित फर्म की प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वर्षों की लेखापरीक्षा की गई तुलन पत्र की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रतियां अर्थात प्रत्येक पूर्ववर्ती तीन वर्षों से संबंधित 10.00 लाख रू. या उससे अधिक के वार्षिक कारोबार से संबंधित समर्थित दस्तावेज।	हां/नहीं
ड.)	1.00 लाख रू. की जमा धरोहर राशि (ई एम डी) की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति।	हां/नहीं
च)	**अनुबंध-।।।** के अंतर्गत अपेक्षित प्रमाण-पत्र जिस पर विधिवत रूप से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हों की हस्ताक्षरित एवं स्कैन की गई प्रति ।	हां/नहीं

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)
फर्म का नाम एवं पता
दूरभाष सं./मोबाइल सं./फैक्स सं.

ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के अनुदेश

बोलीदाताओं को वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का प्रयोग करते हुए सी पी पी पोर्टल पर इलेक्ट्रानिक माध्यम से बोलियों की साफ्ट प्रतियां प्रस्तुत करना अपेक्षित है। नीचे दिए गए अनुदेशों का तात्पर्य सी पी पी पोर्टल पर रजिस्टर करने के लिए, अपेक्षानुसार अपनी बोलियों को तैयार करने तथा सी पी पी पोर्टल पर अपनी बोलियों को ऑन लाइन प्रस्तुत करने में बोलीदाताओं की सहायता करना है। सी पी पी पी पोर्टल पर ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के लिए और अधिक उपयोगी जानकारी https://eprocure.gov.in/eprocure/app से प्राप्त की जा सकती है।

1. **पंजीकरण:**

(1) बोलीदाताओं को केन्द्रीय लोक प्रापण पोर्टल के ई-प्रोक्यूरमेंट माड्यूल (यू आर एल: https://eprocure.gov.in/eprocure/app) (सी पी पी पोर्टल) पर **"ऑनलाइन बोलीदाता इनरॉलमेंट"** के लिंक पर क्लिक करके जो प्रभार रहित है, पर इनरॉल करना अपेक्षित है ।

(2) इनरॉलमेंट प्रक्रिया के भाग के रूप में बोलीदाताओं को यूनिक यूजरनेम का चयन तथा अपने अकाउन्ट के लिए पासवर्ड असाईन करना अपेक्षित होगा ।

(3) बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि पंजीकरण प्रक्रिया के रूप में अपने वैध ई-मेल आई डी तथा मोबाइल नं. को रजिस्टर करें । इसे सी पी पी पी पोर्टल से किसी भी प्रकार के संपर्क के लिए प्रयोग में लाया जाएगा ।

(4) इनरॉलमेंट पर बोलीदाताओं को अपने–अपने प्रोफाइल सहित सी सी ए भारत द्वारा मान्यता प्राप्त (अर्थात सीफी / टी सी एस / एन काड / ई-मुद्रा आदि) किसी प्रमाणिक प्राधिकारी द्वारा जारी वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (साइनिंग की यूजेज सहित श्रेणी -II या श्रेणी III प्रमाण पत्र) को रजिस्टर करना अपेक्षित होगा।

(5) बोलीदाता द्वारा केवल एक वैध डी एस सी पंजीकृत करना चाहिए । कृपया नोट कर लें कि बोलीदाता यह सुनिश्चित करने के प्रति जिम्मेदार होंगे कि उन्होंने अपना डी एस सी किसी अन्य व्यक्ति को उधार नहीं दिया है, जो इसका दुरूपयोग कर सकता है ।

(6) बोलीदाता तब सुरक्षित लॉग इन के माध्यम से आना यूजर आई डी / पासवर्ड और डी एस सी / ई- टोकन का पासवर्ड को प्रविष्ट कर साइट पर लॉग करें ।

2. <u>निविदा दस्तावेज़ की सर्च:</u>

(1) सी पी पी पोर्टल पर विभिन्न सर्च विकल्प मौजूद है, विभिन्न पैरामीटरों द्वारा सक्रिय निविदा की खोज हेतु बोलीदाताओं को सुविधा प्रदान की गई है । इन पैरामीटरों में निविदा आई डी, संगठन का नाम, अवस्थिति, तारीख, मूल्य आदि शामिल किए जा सकते थे । निविदा की एडवान्सड सर्च के लिए एक और विकल्प मौजूद है जिसमें बोलीदाता सर्च पैरामीटरों की संख्या जैसे संगठन का नाम, संविदा फर्म, अवस्थिति, तारीख, अन्य कीवर्ड आदि सी पी पी पोर्टल पर प्रकाशित निविदा की सर्च के लिए शामिल कर सकते है ।

(2) अपनी रूचि की निविदा का चयन करने के बाद बोलीदाता अपेक्षित दस्तावेज़ / निविदा कार्यक्रम डाउनलोड कर सकते हैं । ये निविदाएं संबंधित 'मेरी निविदा' फोल्डर में भेजी जा सकती हैं । यह सी पी पी पेार्टल बोलीदाताओं को एस एम एस/ ई-मेल के माध्यम से बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में जारी होने वाले शुद्धि पत्र की जानकारी देने की क्षमता प्रदान प्रदान करेगा ।

(3) बोली को प्रत्येक निविदा को दिए गए यूनिक निविदा आई डी का एक नोट बना लेना चाहिए यदि वे हैल्प डैस्क से किसी प्रकार का स्पष्टीकरण / मदद चाहते है ।

3. <u>बोली को तैयार करना:</u>

(1) बोलीदाता को अपनी बोली प्रस्तुत करने से पहले निविदा दस्तावेज़ में प्रकाशित शुद्धिपत्र को ध्यान में रखना चाहिए ।

(2) कृपया निविदा विज्ञापन तथा निविदा दस्जावेज़ों को सावधानीपूर्वक पूरी तरह से पढ़ लें और यह समझ ले कि बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज़ अपेक्षित है । कृपया लिफाफे की संख्या जिसमें बोली दस्तावेज़ प्रस्तुत किए जाने हैं, प्रत्येक दस्तावेज़ जिन्हें प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है का नाम तथा विषय वस्तु सहित दस्तावेज़ों की संख्या नोट कर लें । इनसे उत्पन्न किसी प्रकार के विचलन के कारण बोली अस्वीकृत की जा सकती है ।

(3) बोलीदाता को अग्रिम में बोली दस्तावेज़ अनुसूची में यथानिर्दिष्ट बोली दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिए तैयार रहना चाहिए और ये दस्तावेज़ पी डी एफ / एक्स एल

एस / डी डब्ल्यू एफ / आर ए आर / जे पी जी फार्मेट में होने चाहिए । बोली दस्तावेज़ों श्वेत तथा श्याम विकल्प सहित 100 डी पी आई के साथ स्कैन किया जाएगा जो स्कैन किए गए दस्तावेज़ों के आकार को छोटा करने में मदद करता है।

(4) मानक दस्तावेज़ों के अपलोड करने में लगने वाले अपेक्षित समय एवं प्रयास को कम करने के लिए, जिसे प्रत्येक बोली के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है, ऐसे मानक दस्तावेज़ों (अर्थात पैन कार्ड की प्रति, वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र आदि) को अपलोड करने के लिए प्रावधान किया गया है जो बोलीदाताओं के लिए मुहैया है। ऐसे दस्तावेज़ों को अपलोड करने के लिए बोलीदाता "माई स्पेस" क्षेत्र या "अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज़" वाले क्षेत्र का प्रयोग कर सकते है, जो उनके पास उपलब्ध है । बोली को प्रस्तुत करते समय इन दस्तावेज़ों को सीधे "माई स्पेस" पर प्रस्तुत सकते है और इन्हें बार-बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है । यह बोली प्रस्तुत करने की प्रक्रिया में लगने वाले समय को अपेक्षित रूप से कम करेगा ।

4. <u>बोली को प्रस्तुत करना :</u>

(1) बोलीदाता को बोली को प्रस्तुत करने के लिए अग्रिम में साईट पर लॉग-इन करना चाहिए ताकि वे बोली को समय पर अर्थात् बोली प्रस्तुत करने की निर्धारित तारीख या उससे पहले अपलोड कर सकते हैं। अन्य मुद्दे के कारण किसी भी देरी के लिए बोलीदाता जिम्मेदार होंगे ।

(2) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथानिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज़ों को एक-एक कर अपलोड कर डिजिटल हस्ताक्षर करने हैं ।

(3) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज़ में यथा लागू निविदा शुल्क / जमा धरोहर राशि का भुगतान करने के लिए "ऑफलाईन" भुगतान विकल्प का चयन करना होगा और उपकरण के विवरण को प्रविष्ट करना होगा ।

(4) बोलीदाता को निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट अनुदेशों के अनुसार जमा धरोहर राशि तैयार करनी चाहिए । मूल दस्तावेज़ को डाक / कुरियर / संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथा निर्दिष्ट तारीख या निविदा दस्तावेज़ में यथावर्णित तारीख तक भेजी जानी चाहिए । डिमांड ड्राफ्ट / कोई अन्य स्वीकार्य रूप या व्यक्तिगत रूप से भेजे गए विवरणों का मिलान स्कैन प्रति में उपलब्ध विवरण तथा प्रस्तुत करने के समय के दौरान प्रविष्ट किए गए डेटा के साथ कर लेना चाहिए अन्यथा अपलोड की गई

बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा ।

(5) बोलीदाताओं से अनुरोध किया जाता है कि उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उन्होंने अनिवार्य रूप से प्रदान किए गए फार्मेट में ही अपनी वित्तीय बोलियों को जमा किया है तथा कोई अन्य फार्मेट स्वीकार्य नहीं है । यदि बोली मूल्य निविदा दस्तावेज़ के साथ मानक पीडीएफ फार्मेट में नहीं दिया गया है, तो उसे डाउनलोड करने और सभी बोलीदाताओं द्वारा भरा जाना चाहिए। बोलीदाताओं को पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना अपेक्षित है। इसे खोलें और अपने वित्तीय कोट्स तथा अन्य विवरणियों (जैसे बोलीदाता का नाम) सहित सफेद रंग की (असुरक्षित) सेल्स को पूरा करें। किसी अन्य सेल्स को परिवर्तित न करें। एक बार विवरणियों के पूरा हो जाने पर बोलीदाता को इसे सेव कर लेना चाहिए और फाइल के नाम को परिवर्तित किए बिना ऑनलाइन प्रस्तुत कर दें। यदि पीडीएफ फाइल को बोलीदाता द्वारा आशोधित किए जाते हुए पाए जाते है तो बोली अस्वीकार कर दी जाएगी।

(6) सर्वरटाइम (जिसे बोलीदाता के डेश बोर्ड पर प्रदर्शित किया गया है) को बोलीदाता द्वारा बोलियों को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख, बोलियों को खोलना आदि को संदर्भ के लिए मानक समय माना जाएगा । बोलीदाताओं को बोली के प्रस्तुतीकरण के दौरान इस समय का अनुपालन करना चाहिए ।

(7) बोलीदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ इन्क्रिपशन प्रविधि पी.के.आई का प्रयोग करते हुए इन्क्रिप्टेड होंगे ताकि डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके । बोली को खोले जाने के समय तक प्रविष्ट किए गए डेटा को अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा नहीं देखा जा सकता है । इन्क्रिपशन प्रौद्योगिक के 128 बिट सुरक्षित सॉकेट लेयर का प्रयोग करते हुए बोली की गोपनीयता को अनुरक्षित किया गया है । संवेदनशील क्षेत्रों का डेटा स्टोरेज इन्क्रिपशन किया गया है । कोई बोली दस्तावेज़ जिसे सर्वर पर अपलोड किया गया है जो क्रर्मिक कुंजी जनित प्रणाली का उपयोग करते हुए क्रमिक इन्क्रिपशन के अध्यधीन है । इसके अतिरिक्त यह कुंजी एसमैट्रिक इन्क्रिपशन का प्रयोग कर क्रेता / बोली खोलने वाले सार्वजनिक कुंजी के अध्यधीन है । समग्र रूप से अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले द्वारा निविदा के खोलने के बाद ही केवल पठनीय होगा।

(8) अपलोड किए गए निविदा दस्तावेज़ प्राधिकृत बोली खोलने वाले अधिकारी द्वारा निविदा को खोलने के बाद ही पठनीय होगा ।

(9) बोली के सफल तथा समयबद्ध तरीके से प्रस्तुतीकरण (अर्थात् पोर्टल में "फ्रिज बिड सबमिशन" को क्लिक करने के बाद), पोर्टल सफल बोली प्रस्तुतीकरण संदेश देगा

और बोली सं. और सभी संगत विवरणी सहित बोली को प्रस्तुत करने की तारीख एवं समय के साथ बोली समरी प्रदर्शित हो जाएगी।

(10) बोली समरी को मुद्रित किया जाना अपेक्षित है और बोली के प्रस्तुतीकरण के पावती के रूप में इसे रख लें। इस पावती को बोली के खुलने की किसी भी बैठक के लिए एन्ट्री पास के रूप में प्रयोग में लाया जा सकता है।

5. <u>बोलीदाताओं को सहायता</u>

(1) निविदा दस्तावेज़ उनमें समाविष्ट निबंधन एवं शर्तों से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए निविदा आमंत्रण प्राधिकारी या निविदा में निर्दिष्ट संगत संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति को संबोधित की जानी चाहिए।

(2) ऑनलाइन बोली प्रस्तुतीकरण की प्रक्रिया से संबंधित किसी प्रकार की पूछताछ या सामान्य रूप से सी पी पी पोर्टल से संबंधित पूछताछ को 24X7 सी पी पी पोर्टल हेल्प डेस्क को अग्रेषित कर सकते है। हेल्प डेस्क के लिए संपर्क नं. 1800 3070 2232 है। बोलीदाता +91-7878007972 एवं + 91-7878007973 से भी मदद ले सकते हैं।